(02) श्री संजय शर्मा

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	942/2017 भैरूलाल / कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 285	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलान्ट उपस्थित। अपील मीमो पर कार्यालय टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है दर्ज की जावे। कैवियटकर्ता को नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील कैवियटकर्ता दिनांक 03.11.17 को पेश हो।	रजि. नं. 11137 1-11
3/11/17	अभि. अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट उपस्थित पूर्व आदेश ... मिसल दिनांक 06/11/17 को पेश हो।	Copy Recived Sattar 6-11-17
06.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलान्ट एवं कैवियटकर्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.17 को पेश हो।	08.11.17
08.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलान्ट एवम् कैवियटकर्ता उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.11.17 को पेश हो।	
10/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13/11/2017 को पेश हो।	
13/11/17	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु नियत होने से प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये बहस मे मुख्यतः निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी एवं इनके हक पूर्वाधिकारी अपनी खुद शुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की प्रश्नगत भूमि पर गत 47 वर्षों से काबिज है। चूंकि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है अतः	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	952/2017 भंवरलाल / कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके सम्बन्ध मे अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 को विभाजन करवाने एवं घोषणा का वाद प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है अत: ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद एव प्रार्थना पत्र 212 पोषणीय ही नहीं है। अत: अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके हक अधिकार की आराजी के सम्बन्ध मे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का जो अपीलाधीन आदेश एकतरफा मे विधिविरुद्ध पारित किया गया है कि क्रियान्विति स्थगित करमाई जावे। अभिभाषक अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से निवेदन किया कि यह अपील अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण साबित होने पर ही न्यायसंगत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अत: अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अत: मजावत रखा जाकर प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार करमाया जावे। हमने अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है एवं प्रकरण मे अपील के साथ प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के अवलोकन से अपीलार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे खातेदार अंकित होना जाहिर है। अत: रिकार्डेड खातेदार	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भंवरलाल | कैलाश

तारीख हुक्म	952/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्तकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग से प्रतिबान्धित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इकतरफा मे पारित आदेश जेर अपील दिनांक 06/10/2017 की क्रियान्विति अपीलार्थीगण की हद तक स्थगित रखी जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि मे पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	आदेश आज दिनांक 13/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील ... जयपुर